न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

(1) **प्रकरण संख्याः 54/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी**
दायरा दिनांकः 7.6.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

काली बाई उर्फ संतोष पुत्री मोतीलाल पत्नी बृजमोहन जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालापुरा हाल निवासी संजय कॉलोनी नैनवा रोड बूंदी तहसील व जिला बूंदी।

...अपीलार्थी

बनाम

1.मुकेश आत्मज गोपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालापुरा थाना काप्रेन तहसील के0पाटन बूंदी (राज0)।
2.सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बूंदी।
3.राज0 सरकार जरिये उप पंजीयक के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।

...रेस्पोडेन्ट

(2) **प्रकरण संख्याः 55/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी**
दायरा दिनांकः 7.6.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

काली बाई उर्फ संतोष पुत्री मोतीलाल पत्नी बृजमोहन जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालापुरा हाल निवासी संजय कॉलोनी नैनवा रोड बूंदी तहसील व जिला बूंदी।

...अपीलार्थी

बनाम

1.मुकेश आत्मज गोपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम बालापुरा थाना काप्रेन तहसील के0पाटन बूंदी (राज0)।
2.सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बूंदी।
3.राज0 सरकार जरिये उप पंजीयक के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अशोक गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री शंभूलाल मेघवाल अभिभाषक रेस्पो0 कम–1

::निर्णय::

दिनांक 26.12.2018

1 उक्त दोनो अपीलों के पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील तहसीलदार के0 पाटन द्वारा पारित नामा0 सं0 173 दिनांक 21.7.05 ग्राम बालापुरा खातेदार मोतीलाल के फोत होने पर मुकेश कुमार एवं काली बाई के नाम तस्दीक किये जाने तथा द्वितीय अपील नामा0 सं0 249 दिनांक 10.3.2009 ग्राम बालापुरा रिलीज्ड डीड के आधार पर मुकेश कुमार के नाम तस्दीक कर दिये

जाने से अप्रसन्न होकर से प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी के यहां पेश कर उक्त दौनो नामान्तरकरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त दोनो नामा0 के संबध मे राजस्व अभिलेख मे लाल स्याही से विवादित का नोट अंकित किये जाने तथा सिविल न्यायालय के निर्णय के उपरांत वारिसान के संबध मे समुचित जांच करते हुये नये सिरे से आदेश पारित करने का दिनांक 28.2.2018 को निर्णय पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त दोनो अपील सं0 54/18 व 55/18 राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई। प्रस्तुत उक्त दौनो अपीलों का सारांश इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 243 रकबा 002 है0 ख0 नं0 246 रकबा 0.15 है0, ख0 नं0 257 रकबा 0.90 है0 कुल किता 4 रकबा 1.17 है0 ग्राम बालापुरा के खातेदार अपीलांट के पिता मोतीलाल थे मोतीलाल के कोई पुत्र संतान नही थी अपीलांट एकमात्र उनकी वारिस है भूमि को काका गोपाल को जुपाकर आती थी क्योंकि अपीलांट अपने पति के साथ बूंदी मे निवास करती है। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद नामा0 सं0 173 तस्दीक किया गया जिसमे अपीलांट कालीबाई के साथ 1/2 हिस्से मे मुकेश का नाम भी अंकित कर दिया जबकि मुकेश मोतीलाल का पुत्र नही है अपितु मुकेश के पिता का नाम गोपाल है। मुकेश व उसके पिता गोपाल अपीलांट की भूमि को हडप करना चाहते है। इसी नियत से नामा0 दर्ज करवाया है इसके बाद भी रेस्पो0 क्रम–1 व उसके परिवारजनो ने मिलकर धोखधडी करते हुये एक रिलीजडीड दिनांक 20.2.09 को निष्पादित करवाया है जिसमे कालीबाई के स्थान पर उसकी सगी बहिन तस्वीर को उसके स्थान पर उप पंजीयक के0 पाटन के यंहा प्रस्तुत किया गया। इस रिलीज डीड के आधार पर अपीलांट का आधा हिस्सा भी रेस्पो0 क्रम–1 ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित नही किया है इस बावत धारा 420 आईपीसी का प्रकरण दर्ज है जिसमे रेस्पो0 जेल मे रहकर आये है। रिलीज डीड सही नही होने की स्थिति मे नामा0 स्वतः ही प्रभावशून्य हो जाता है। तस्वीर अंगूठा करती है जबकि कालीबाई हस्ताक्षर करती है। रिलीजडीड के आधार पर खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित नही होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे उक्त तथ्यो का समुचित परीक्षण नही किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.2.2018 विधि के प्रावधानो के विपरीत व न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। नामा0 सं0 249 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सं0 40/16 मे सम्पूर्ण तथ्यो का अवलोकन करने के बाद माना है कि उक्त रिलीज डीड सही है अथवा फर्जी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त अपील मे अपीलांट के द्वारा जो दस्तावेज फौजदारी प्रकरण से संबधित एवं रिलीज डीड की प्रति प्रस्तुत की है जिससे पूर्ण रूप से प्रमाणित है कि उक्त रिलीजडीड कालीबाई उर्फ संन्तोष के द्वारा मुकेश के हक मे नही करायी गई इसके बावजूद भी उक्त नामान्तरकरण सं0 249 को निरस्त करने का निर्णय पारित नही किया बल्कि नामा0 के राजस्व अभिलेख पर लाल स्याही से विवादित का नोट अंकित करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि रा0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41 व 63 के अनुसार कानूनन रिलीजडीड के आधार पर हक व अधिकारो का व खातेदारी अधिकारो का हस्तानान्तरण नही होता है इस कारण रिलीजडीड के आधार पर खोला गया नामा0 निरस्त किये जाने योग्य है। जेरअपील निर्णय की जानकारी अपीलांट के अभिभाषक द्वारा बताने पर दिनांक 19.4.18 को नकल हेतु आवेदन किया गया उक्त निर्णय की नकल दिनांक 24.4.18 को प्राप्त होने पर अपील पेश की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.2.2018 एंव दोनो नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का आदेश पारित करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे दिनांक 29.11.2018 को बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलांट एक पक्षीय सुनी गई। रेस्पो0 क्रम–1 एंव उसके अभिभाषक बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वर्णित विवादित भूमि अपीलांट के पिता मोतीलाल के खातेदारी की है। मोतीलाल के कोई पुत्र संतान नही थी अपीलांट एकमात्र उनकी वारिस है। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद मुकेश ने स्वयं को मोतीलाल जी का दत्तक पुत्र बताकर विवादित आराजी का नामा0 सं0 173 हिस्सा 1/2, 1/2 का तस्दीक करवा लिया। जबकि मुकेश मोतीलाल का पुत्र नही है अपितु मुकेश के पिता का नाम गोपाल है। बहस मे आगे बताया कि रेस्पो0 क्रम–1 ने कालीबाई के स्थान पर उसकी सगी बहिन तस्वीर को उसके स्थान पर उप पंजीयक के0 पाटन के यंहा खडा कर रिलीज डीड निष्पादित करवा कर इस रिलीज डीड के आधार पर अपीलांट का आधा हिस्सा भी रेस्पो0 क्रम–1 ने अपने नाम दर्ज करवा कर नामा0 सं0 249 तस्दीक करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे मुकेश को गोदपुत्र माना है जबकि

पत्रावली मे गोदनामा नही है केवल राशन कार्ड व वोटर आई डी की प्रति है जिससे अपीलांट का गोदपुत्र होना प्रमाणित नही होता है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर जेरअपील आदेश पारित कर प्रकरण रिमांड कर विवादित का नोट अंकित करने का जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। जेरअपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रिलीजडीड केन्सीलेशन का सक्षम न्यायालय मे दावा किया हुवा है। गोदनामा हो तो भी गोद लिया जाना प्रमाणित होना चाहिये आरआरटी 2018 एच.सी. पेज 640 न्यायिक उद्धरण पेश कर निवेदन किया कि दौनो नामा0 निरस्त किये जावे क्योंकि प्रथम इंतकाल सं0 173 ही निरस्त होने योग्य है तो उसके बाद रिलीज डीड के आधार पर तस्दीक किया गया नामा0 सं0 249 सही नही है। अंत मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 क्रम–1 एवं उसके अभिभाषक उपस्थित नही हुये।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/दस्तावेजात का आध्योपांत अवलोकन विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर पर गौर कर बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलांट एक पक्षीय पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है डिले कन्डोन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एंव प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का रेस्पो0 द्वारा खण्डन नहीं किया है। रेस्पो0 क्रम–1 एंव उसके अभिभाषक ने प्रकरण उपस्थित होकर अपना पक्ष भी प्रस्तुत नही किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का प्रकरण मे कोई आधार नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किये जाने पर जाहिर होता है कि विवादित आराजी के खातेदार मोतीलाल के फौत होने उपरांत नामा0 सं0 173 हिस्सा 1/2, 1/2 अपीलांट एवं मुकेश के नाम तस्दीक किया गया तथा इसके उपरांत रिलीज डीड के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का नामा0 सं0 249 रेस्पो0 क्रम 1 के पक्ष मे तस्दीक किये जाने पर अपीलांट द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर इस आधार पर चुनोती दी गई कि मृतक खातेदार का रेस्पो0 क्रम–1 मुकेश पुत्र नही होने से तस्दीक किया गया नामा0 सं0 173 विधि विरूद्ध है तो रिलीजडीड के आधार पर तस्दीक किया नामा0 सं0 249 भी सही नही होने से निरस्तनीय है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यो का परीक्षण नही किया तथा उक्त नामा0 को निरस्त नही कर नामा0 के संबध मे राजस्व अभिलेखों मे विवादित होने का नोट लाल स्याही से से दर्ज कर त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 28.2.2018 मे विवेचित तथ्य एवं पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पो0 मुकेश स्वयं को मोतीलाल का गोदपुत्र प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असफल रहने एवं भूमि के संबध मे जो रिलीजडीड निष्पादित किया गया है वह सही है अथवा फर्जी इसका परीक्षण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सक्षम नही होने तथा कार्यवाही हेतु प्रकरण सिविल न्यायालय विचाराधीन होने से उक्त दौनो नामा0 के संबध मे राजस्व अभिलेख मे लाल स्याही से विवादित का नोट अंकित किये जाने तथा सिविल न्यायालय के निर्णय के उपरांत वारिसान के संबध मे समुचित जांच करते हुये नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत प्रकरण मे विवेचित उक्त अभिमत विधिसम्मत होने से जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय दिनांक 28.2.2018 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष प्रकट नही होता है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

7 परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा